HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8992/2026
CNR: RJHC020550662026 | URN: CRLMB / 16497U / 2026

1. Santara Devi W/o Late Shri Ramswaroop Saini, Aged About 62 Years, R/o Bediwala Kuwan, Patel Nagar, Police Station N.e.b., District Alwar (Raj.)
2. Jyoti W/o Shri Dinesh Chand Saini, Aged About 32 Years, R/o Bediwala Kuwan, Patel Nagar, Police Station N.e.b., District Alwar (Raj.)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ved Prakash Saini Mr. Amitesh Rana Mr. Saurav Chaudhary
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

03/09/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा 482 बी.एन.एस. के तहत पुलिस थाना, एन.ई.बी. जिला–अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–129/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 189(2) बी.एन.एस. में अग्रिम जमानत का लाभ देने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क रहा कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया जा रहा है। उनका तर्क है कि पूर्व में न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12.6.2026 की पालना में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अनुसंधान में भाग लिया जा चुका है। अब प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी अंकित है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से किसी प्रकार की कोई बरामदगी की जानी शेष नहीं है। अब प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से कोई अनुसंधान किया जाना शेष नहीं है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया एवं तर्क दिया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर धारा 115(2), 126(2), 189(2) बी.एन.एस. का अपराध प्रमाणित पाया गया है। ऐसी स्थिति में, जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

समस्त तर्कों पर विचार किया गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12.6.2026 की पालना में अनुसंधान में भाग लिया जा चुका है। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी उनके द्वारा अनुसंधान में भाग लिया जाना प्रकट हुआ है। इस रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से किसी प्रकार की बरामदगी शेष नहीं है। उनसे अभिरक्षात्मक पूछताछ की आवश्यकता नहीं होना भी बताया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण महिलाऐं हैं। अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस मामले में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार किये जाने की सूरत में यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त उनके संतोषप्रद एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये राशि की दो–दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उन्हें निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर आजाद कर दिया जाए :

1. कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगी,
2. कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षः अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगी,
3. कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेंगी।

(SHUBHA MEHTA),J

66/JITENDRA SINGH PANWAR